ग्राम पंचायत डोभा, विकास खण्ड सदर जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क)** :– ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत डोभा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति सरोज कुमारी	01/04/2013 से 22/01/2016
2	श्रीमति बंदना कुमारी	23/01/2016 से 31/03/2016

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री पवन कुमार	01/04/2013 से 31/03/2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :– ग्राम पंचायत डोभा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र•	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्त शेष में अन्तर	0.36
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	——
3	6.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	1.01
4	9	तीन वर्षों से प्राप्य राजस्व की वसूली न करना	0.13
5	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	12.07
6	11	संदिग्ध व्यय	0.86
7	12	निविदा प्रक्रिया पूर्ण किए बिना किया गया व्यय	2.54
8	13	क्रय किए गए भण्डार का लेखांकन न करना	2.54

भाग–दो

2. **वर्तमान अंकेक्षण** :– ग्राम पंचायत डोभा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पुनीत शर्मा, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 26/05/2016 से 28/05/2016 तक ग्राम पंचायत डोभा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 03/2014, 01/2015, 10/2015 व 03/2014, 01/2015, 10/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्कः—** ग्राम पंचायत डोभा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क रु5400/—बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2015—16/—106 दिनांक 27/05/2016 द्वारा सचिव, पंचायत डोभा से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, गग्रम पंचायत डोभा ने हि• प्र• रा• स• बैंक लखनपुर के चैक संख्या 398317 दिनांक 27/05/2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला—171009 को प्रेषित किया गया है।

4. **वित्तीय स्थिति :—** ग्राम पंचायत डोभा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :—

4.1:— स्व स्त्रोत :— ग्राम पंचायत डोभा के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट—1.1 में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013.14	338632	77738	416370	33808	382562
2014.15	382562	46285	428847	106409	322438
2015.16	322438	27484	349922	12620	337302

4.2:— अनुदानः— ग्राम पंचायत डोभा के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिश्ट—1.2 में भी दिया गया है :—

वर्श	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013.14	867755	1826436	2694191	1715602	978589
2014.15	978589	1468216	2446805	2088947	357858
2015.16	357858	2813833	3171691	1964925	1206766

5. **बैक समाधान विवरणी का तैयार न करना :—** अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत डोभा द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31—03—2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹36,182/— का अन्तर थाः—

क्र•	खाता	अन्त शेष
	रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति के अनुसारः—	
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' — पैरा 4(1)	3,37,302.00
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' — पैरा 4(2)	12,06,766.00
कुल योग (क):		15,44,068.00
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः—		

	विवरण	बैंक	खाता	राशि
1	पंचायत निधि	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	2534	2,04,941.00
2	अनुदान	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	2634	10,51,774.00
3	मिड हिमालय प्रोजैक्ट	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	6717	37,832.00
4	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	3508	0.00
5	इन्दिरा आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	3970	2,13,339.00
कुल योग (ख):				15,07,886.00
रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख):				36,182.00

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार माह के अन्त में रोकड वही व बैंक खातों के शेषों का मिलान सुनिश्चित किया जाए।

6. वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

6.1 (क):– पंचायत द्वारा पंचायत निधि, मनरेगा, इन्दिरा आवास योजना तथा मध्य हिमालय जलागम परियोजना के लिए चार अलग– अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। जबकि नियमानुसार पंचायत के स्वयं संसाधनों तथा अनुदान पोषित समस्त योजनाओं के समस्त लेनदेन का लेखांकन करने के लिए मात्र एक ही रोकड़ बही में किए जाने का प्रावधान है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन चार रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1(ख):– लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत डोभा में हालांकि रोकड़ बही में प्रधान के हस्ताक्षर तो करवाए गए हैं परन्तु कभी भी अन्तशेष नहीं निकाला गया है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1(ग):– हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही सभी योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत डोभा में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित तीन योजनाओं के लिए अलग–अलग रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है ही साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों को इकट्ठा करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2:– नियमों के विरूद्ध पांच बैंक बचत खातों का खोला जानाः– हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो

बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदान राशियों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत डोभा में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित पांच बैंक बचत खाते खेले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन तीन अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3:– खाता 'ख' के ₹100756/– के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः– हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत डोभा के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1,00,756./– खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए ग्ए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए तुरन्त अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

माह/वर्ष	खाता संख्या				कुल ब्याज
	2634	6717	3508	3970	
9/2013	14584.00	338.00	882.00	1834.00	17638.00
3/2014	12802.00	1515.00	1418.00	3840.00	19575.00
9/2014	12975.00	2393.00	404.00	3895.00	19667.00
3/2015	9869.00	1137.00	0.00	3586.00	14592.00
9/2015	9824.00	774.00	0.00	3382.00	13980.00
3/2016	9461.00	1954.00	0.00	3889.00	15304.00
कुल योग	69515.00	8111.00	2704.00	20426.00	100756.00

6.4:– क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः– हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फॉर्म 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को आय तथा व्यय के लिए अलग अलग दो भागों में बनाया जाना अपेक्षित है, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर आय तथा व्यय के प्रत्येक लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

7. **निवेशः–** ग्राम पंचायत डोभा द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान सावधि जमा योजना (Fixed deposit Receipts) में निवेश नहीं किया गया था।

8. **बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–** हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व

व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9. **पंचायत राजस्व ₹12,455/– का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–** सचिव ग्राम पंचायत डोभा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व **₹12,455/–** की वसूली शेष थी।

गृहकर : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 475 ₹10 प्रति परिवार की दर से

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013.14	––	4750.00	4750.00	0.00	4750.00
2014.15	4750.00	4750.00	9500.00	2510.00	6990.00
2015.16	6990.00	4750.00	11740	0.00	11740.00

शादीदान/जन्मदानः– 04/2013 से 03/2016 तक में पंचायत क्षेत्र में हुई शादियों तथा पैदा हुए बच्चों की संख्या के आधार परः

वर्ष	शादियां	बच्चे	कुल	दान की दर	कुल मांग
2013.14	43	15	58	5.00	290.00
2014.15	33	20	53	5.00	265.00
2015.16	16	16	32	5.00	160.00

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013.14	––	290.00	290.00	0.00	290.00
2014.15	290.00	265.00	555.00	0.00	555.00
2015.16	555.00	160.00	715.00	0.00	715.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

10. **अनुदान की राशि ₹12.07 लाख का अवरोधनः–** पंचायत द्वारा परिशिष्ट–1.2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान 1 ₹2,06,766/– उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11. **बिना बिल वाउचरों के किया गया ₹0.86 लाख का संदिग्ध व्ययः–** हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें

विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में निम्न विवरणानुसार दर्ज मु• रु86235/– के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ति बिल उपलब्ध नहीं थे। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा, जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, में ही आपूर्तिकर्ता की रसीद दर्शाई गई है तथा पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तिकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए। नमूना जांच में पाए गए प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं	रोकड़ बही पृष्ठ	वाउचर संख्या	क्रय की गई सामग्री	उद्देश्य	व्यय राशि (रु)
1	120	1		पंचायत घर कमरा अपवर्धन	27600.00
2	120	3	सीमेन्ट ढुलाई	–यथोपरि–	1200.00
3	121	5		–यथोपरि–	10000.00
4	123	9		–यथोपरि–	10350.00
5	124	16	सीमेन्ट ढुलाई	गांव जाबल में बावड़ी निर्माण	1000.00
6	124	17	रेत व बजरी	–यथोपरि–	20000.00
7	124	21	बजरी	पंचायत घर कमरा अपवर्धन	4001.00
8	128	41	शटरिंग	–यथोपरि–	12084.00
				कुल योगः	86235.00

12. निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2,53,783/– के स्टाक स्टोर का क्रय करना :– हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) **व 67(5)** द्वारा स्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2,53,783/– के स्टॉक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. भंडारण पुस्तकों (Stock/Store Registers) के रख–रखाव में त्रुटियांः–

13.1:– क्रय किए गए स्थाई व अस्थाई भण्डार का भण्डारण पुस्तकों में इन्द्राज़ न करनाः– हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई अथवा अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फॉर्म 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत डोभा के अवधि 04/2013 से 30/2016 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–2 पर संकलित लगभग ₹ 2,53,783/– के भण्डार को क्रय उपरान्त भण्डार

पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

13.2:– भण्डारण पुस्तकों का रख रखाव उचित तरीके से न करना:–सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए। परन्तु ग्राम पंचायत डोभा में विभिन्न खरीदे गए सामान का इन्द्राज़ करते समय उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भन्डारण पुस्तकें लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त अब तक भण्डार पुस्तकों में दर्ज न किए गए सामान का इन्द्राज़ किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

13.3:– प्रत्यक्ष सत्यापन:– हि•प्र• पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14. **विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:–** हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	रजिस्टर/अभिलेख	प्रारूप संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (a & b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
12	बिल रजिस्टर	13	48

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. विविध अनियमितताएः—

15.1ः— ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निशपादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत डोभा द्वारा नहीं की जा रही है।

15.2ः— निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

15.3ः— पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत डोभा के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि अधिकतर मामलों में यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15.4ः— ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निशपादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के प्रावधान अनुसार व अनुरूप भुगतान बिलों पर अदायगी आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

16. लघु आपति विवरणिका :— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17. निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में हि•प्र• पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखों का रख रखाव नियमयनुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/—
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला.171009

पृष्ठाँकन सँख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15—2016—4845—4848, दिनाँक 06.09.2016 शिमला 09.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत डोभा, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग,हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0.

सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट–2

ग्राम पंचायत डोभा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि• प्र• द्वारा निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही मु• रु253783/– के स्टाक/स्टोर का क्रय करना तथा क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भण्डार पुस्तिकाओं में न करना (पैरा 13.1 व 13.2 में संदर्भित):–

क्र•	वाउचर	पंचायत निधि रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि
1	1/2013–14	120	ईंटें	27600.00
2	4/2013–14	120	दरवाजे व खिड़कियां	8611.00
3	5/2013–14	121	रेत	10000.00
4	9/2013–14	123	ईंटें	10350.00
5	10/2013–14	123	जे सी बी मशीन से खुदाई	9600.00
6	11/2013–14	123	जे सी बी मशीन से खुदाई	28800.00
7	14/2013–14	123	सरिया	10464.00
8	17/2013–14	124	रेत व बजरी	20000.00
9	20/2013–14	124	स्थानीय सरकारी स्कूलों में देने हेतु दो वाटर कूलर	41280.00
10	25/2013–14	126	लेखन सामग्री	7163.00
11	30/2013–14	127	कुर्सियां	17489.00
12	32/2013–14	127	कम्पयूटर सामग्री	3100.00
13	34/2013–14	127	प्रिन्टर	11500.00
14	41/2013–14	128	कमरे की छत्त के लिए शटरिंग	12084.00
15	36/2014–15	141	लेखन सामग्री	4573.00
16	37/2014–15	141	निर्माण सामग्री	16500.00
17	38/2014–15	141	सूचना पट इत्यादि लेखन	8364.00
18	39/2014–15	141	बिजली सामग्री	6305.00
			कुल योगः	253783.00